**न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3629/2018**

गुड्डू यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी– लगुनही, थाना– गोला, जनपद– गोरखपुर।

**–––––––आवेदक/अभियुक्त।**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार **––––––––विपक्षी।**

मु0अं0सं0– 118/2015

धारा– 498–ए,504,506,304,120–बी भा0दं0सं0,

थाना– गोला, जनपद– गोरखपुर।

**दिनांक : 11/10/2018**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त गुड्डू यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 118/2015, अन्तर्गत धारा– 498–ए,504,506,304,120–बी भा0दं0सं0, थाना– गोला, जिला– गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ–पत्र इस आशय का दिया गया है कि यह इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय के समक्ष है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न खारिज हुआ है।

अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजू द्वारा न्यायालय में दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश के अनुपालन में थाना– गोला पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी कि उसकी बहन सन्जू देवी की शादी सन् 2005 में शिवशंकर यादव के साथ हुई थी, जिसका गवना व विदाई सन् 2008 ई0 में हुआ था। विदाई के बाद से ही उसके ससुराल वालो के द्वारा मोटर साईकिल व रूपया की मॉग उसकी बहन से की जाने लगी तथा उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाने लगा। बाद में वादी मुकदमा के पिता ने उसकी बहन को विदा कराकर घर ले गये और उसकी बहन कई वर्षो से घर रहने के बाद माह जून, 2013 में विवाह के अगवाकार के मध्यसीता से उसकी बहन पुनः ससुराल गई और उसकी बहन के जाने के 23 माह बाद उसके पति शिवशंकर यादव बैंकाक चले गये और जाते समय कहे कि जब तक तुम्हारे मायके वाले मुझे मोटर साईकिल नहीं दे देंगे, तब तक वह घर वापस नहीं आयेगा, नहीं तो उसकी बहन के मर जाने के बाद ही घर आयेगा। वादी मुकदमा के बहन के पति शिवशंकर यादव बैंकाक जाने के बाद वापस नहीं आये और दूरभाष से अपने घर वालो से बात करके कहते रहे कि जब तक सन्जू जिन्दा है, और मेरे घर पर है, मैं नहीं आऊॅगा। आप लोग कोई व्यवस्था करके उसको हमेशा–हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए और शिवशंकर के सह

पर शिवशंकर के माता–पिता सिमारी देवी व सुखदेव, शिवशंकर की भाभी संगीता देवी व गुड्डू यादव एक योजना बनाकर उसकी बहन सन्जू देवी को दिनांक 09.05.2014 को रात 11:00 बजे मिट्टी का तेल डालकर बुरी तरह से जला दिये, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 10.05.2014 को सुबह लगभग 04:00 बजे सदर अस्पताल, गोरखपुर में हो गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेरे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पिता इन्द्रजीत यादव व सुखदेव यादव का काफी लम्बे अरसे पूर्व से अलग–अलग रहते थे, दोनों परिवार का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वास्तविकता यह है कि घटना के दिन आवेदक/अभियुक्त रोजगार के सिलसिले में बाहर चला गया था, और वापस आने के बाद उसे घटना की जानकारी हुई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पारिवारिक सेजरा के अनुसार बुद्धू की दो सन्ताने क्रमशः श्याम लाल व सुखदेव है, जो काफी लम्बे अरसे से अलग रहते है तथा श्याम लाल की क्रमशः तीन सन्ताने है, जो इन्द्रजीत (पिता आवेदक/अभियुक्त), रमाशंकर व शिवशंकर, जिनका सुखदेव के परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका से कोई दहेज की मांग नहीं की गयी है और न ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। मृतका अवसाद से ग्रस्ति होने के कारण अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। मृतका को उसके ससुराल के लोग चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में दाखिल कराये तथा मृतका के मायके वालो को भी सूचना दिये। सह–अभियुक्त सुखदेव की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त वर्तमान में उच्च रक्त चाप व गम्भीर मधुमेह से पीड़ित है, और जिला कारागार में निरूद्ध होने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तरफ से इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किये गये और यह कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका की मृत्यु कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः जमानत का विरोध किया।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवम् विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवम् अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 09.05.

2014 को घटित हुई है तथा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.03.2013 को न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश के अनुपालन में घटना के लगभग ग्यारह माह बाद दर्ज हुआ है तथा आवेदक/अभियुक्त मृतका के ससुर के भाई के लड़के का लड़का है। प्रस्तुत मामले में सह–अभियुक्त सुखदेव, जो मृतका का ससुर है, की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या– 8, गोरखपुर द्वारा दिनांक 28.07.2016 को स्वीकार की जा चुकी है।

उभय पक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात् मामले के समस्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर विना कोई विचार व्यक्त किये मैं अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाता हूँ।

## <u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गुड्डू यादव को उसके द्वारा मुबलिग एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवम् इतनी की धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

**(विनोद कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ)**
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।